

(नियम 26)

फर्द अहकाम

न्यायालय संभागीय आयुक्त, मुकाम सीकर

जगमाल सिंह

बनाम श्यामकुमार

Withdrawn

2023/63

किस्म मुकदमा: अ. धा. 75 LR Act 1952

अपील सं 984/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9.10.2023	पत्रावली संभागीय आयुक्त सीकर के नव गठित होने पर न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली अपीलान्त व रेस्पोंडेन्ट की तलबी नोटिस जारी होकर दिनांक 10.10.2023 को पेश हो।	
10.10.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलान्त 34 लिखत। अपीलार्थी ने प्रारम्भ बाद अपील वापिस लेने का पेश कर कथन कि कि प्रकरण में अपीलार्थी व प्रत्यर्थी के मध्य रापीनाफा हो गया है। इसलिये अपीलार्थी न्यायालय में विचाराधीन अपील को वापिस लेना चाहते हैं। अतः अपील में परकारन के मध्य रापीनाफा होने से अपील अपीलार्थी खारिज कि जाती है। पत्रावली फेरुल शमाद होकर नंबर के कत हो। दायित्व दतर हो।</p> <p>संभागीय आयुक्त सीकर</p> <p>निर्णय आद दिनांक 10.10.2023 को खुले-जामालद में सुनाया गया।</p> <p>संभागीय आयुक्त सीकर</p>	